कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com

दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 545 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 20/8 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमारा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– **उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 883/x-4-16/1(275)/2016 दिनांक 12.08.2019।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आप्पतियों का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को तीन प्रति में प्रेषित की गयी है जो दो प्रति में अग्रिम कार्यावाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 2 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।

पत्रांक / **दिनांकित।**

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट को उनके पत्रांक 1251/2ई0व0भू0 दिं0 24.07.2019 के कम में इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

I —

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, कपकोट

E.Mail . eepwdkapkot@rediffmail.com **Ph./ Fax No. – 05963.253385 (O)**

पत्रांक 1251 / 2ई0वन0भूमि दिनांक 24/07/2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर।

विषय :– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 883/X-4-16/1 (275)/2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि वनभूमि प्रस्ताव पर राज्य सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्रांक सं0 883/X-4-16/1 (275)/2016 दिनांक 12.08.2016 द्वारा अधिरोपित शर्तो की बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही हैः–

बिन्दु सं0–1 शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रभावित होने वाले वृक्षों के दस गुनी संख्या में वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त, स्थानों पर पथ वृक्षारोपण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सूचित धनराशि क्रमशः रु0 1709991.00 एवं रु0 1899215.00 दिनांक 20.03.2018 को चालान सं0 SBINR 5201803200006236 द्वारा जमा करा दी गयी हैं। **संलग्न है।**

बिन्दु सं0–2 शर्त संख्या 2 के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर द्वारा आंकलित की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि रु0 2217375.00 मात्र दिनांक 20.03.2018 को चालान सं0 SBINR 5201803200006236 द्वारा जमा करा दी गयी है। **संलग्न है।**

बिन्दु सं0–3 भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा उल्लिखित शर्तानुसार एन0पी0वी0 आदि की धनराशि हेतु प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर से प्राप्त डिमांड नोट को नोडल अधिकारी कार्यालय में ऑन लाईन प्रेषित किया गया था। तत्पश्चात् अनुमोदन उपरान्त ऑन लाइन ई–चालान जनरेट कर कुल धनराशि रु0 5826581.00 का भुगतान चालान सं0 SBINR 5201803200006236 Dated 20-03-2018 द्वारा जमा कर दिया गया है।

बिन्दु सं0–4 शर्त संख्या 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा बचन बद्वता कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा करने सम्बन्धी **प्रमाण पत्र संलग्न है।**

बिन्दु सं0–5 शर्त संख्या 4 व 5 के अनुपालन में उक्त देय धनराशि RTGS के माध्यम से Compensatory Afforestation fund (CAF) कारपोरेशन बैंक, लोधी शाखा, नई दिल्ली में जमा करायी जानी थी परन्तु बिन्दु संख्या 3 के अनुसार भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उपरोक्त देय धनराशि रु0 5826581.00 का भुगतान ऑन लाइन ई–चालान जनरेट कर दिनांक 20.03.2018 को किया जा चुका है। भुगतान की पुष्टि हेतु बैक से प्राप्त SBINR 5201803200006236 Dated 20-03-2018 की **प्रति संलग्न है।**

बिन्दु सं0–6 शर्त संख्या 6 के अनुपालन में सूचित करना है कि जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भूवैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से पालन करने सम्बन्धी **प्रमाण पत्र संलग्न है।**

बिन्दु सं0–7 शर्त संख्या 7 मान्य है।

बिन्दु सं0–8 शर्त संख्या 8 के अनुपालन में वनाधिकारी अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख यथा–प्रपत्र 30 से 30–3, तक जिला स्तरीय समिति की बैठक की कार्यवृत्ति, जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र तथा फार्म–1 (कुल 7 नं0) पहले ही प्रस्ताव में 1–6 पर संलग्न किये गये है जिनका कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रति संलग्न है।**

बिन्दु सं0–9 मान्य है।

बिन्दु सं0–10 मार्ग निर्माण उपरान्त उत्पादित होने वाले अवशेष मलवे का निस्तारण मोटर मार्ग के किनारे खड्ड साईड में प्रस्तावित 7मी0 चौडाई के अन्दर ही प्रस्तावित किया गया है जिस पर मोटर मार्ग निर्माण उपरान्त वन विभाग द्वारा मार्ग के दोनों ओर किये जाने वाले पथ वृक्षारोपण के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 1 में भुगतान की गयी धनराशि से पौधारोपण किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या 3 प्रति में नोडल अधिकारी देहरादून को संस्तुति सहित् प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत् स्वीकृति एवं भूमि हस्तान्तरण आदेश जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न–2 प्रमाण पत्र, नामान्तरण की खतौनी एवं एक ई चालान की प्रति।

भवदीय

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

पत्रांक / 2ई0वन0भूमि दिनांक / /2019

प्रतिलिपि सन्दर्भित पत्र के क्रम में निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फौरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष) लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड यमुना कालोनी, देहरादून।
3. अधीक्षण अभियन्ता सिविल वृत्त, लो0नि0वि0, बागेश्वर।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर।

(संजय कुमार पाण्डेय)
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0,
कपकोट

संख्याः 883 / X-4-16 / 1(275) / 2016

प्रेषक,

मीनाक्षी जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन भूमि हस्तातरण, इन्दिरा नगर,
फारेस्ट कालोनी देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4

देहरादूनः दिनांकः 12 अगस्त ~~जुलाई~~, 2016

विषयः जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-331 / FP/UK/ROAD/19168/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद-बागेश्वर के अंतर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के शासनादेश संख्या-एफ0न0-11-09 / 98-एफ0सी0 दिनांक 13 फरवरी, 2014 एवं संख्या एफ0न0-11-09 / 98-एफ0सी0 दिनांक 18 दिसम्बर, 2015 में निहित प्रावधानों द्वारा प्रदत्त प्राधिकार का प्रयोग करते हुए अद्योलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 6.75 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षों का यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा छः माह में आरक्षित / संरक्षित वन भूमि घोषित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की उक्त शर्त पूर्ण होने के पश्चात् ही प्रदान की जा रही सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत मानी जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अंतर्गत आई0ए0सं0-566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या-5-3 / 2007-एफ0सी0, दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्त अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3 / 2007-एफ0सी0 दिनांक 05. 02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियाँ

फोटो प्रति सत्यापित

प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ ... संख्या—एस0बी0—25229, कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ... सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज—1, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003 में ... उपरांत ही पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट ... छायाप्रति सहित प्रस्ताव के संदर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई ... मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के ... वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये ... पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुति एवं भू—वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
7. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों / प्रमाण—पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।
8. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।
9. उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।

भवदीय,

Joshi

(मीनाक्षी जोशी)

अपर सचिव।

संख्याः 883(1)/ X—4—16 / 1(275) / 2016, तददिनांकित्।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, एफ0आर0 आई0, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।
4. जिलाधिकारी, अल्मोड़ा।
5. प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर।
6. अधिशासी अभियंता, नि0ख0, लो0नि0वि0, कपकोट।
7. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC), उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश को एन0आई0सी0 की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0 के0 तोमर)

संयुक्त सचिव।

फोटो प्रतिस्थापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

Q-855.

RTGS CHALLAN

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 30-12-2017

Agency Name.	PWDKAPKOT
Application No.	6119168339
Location.	UTTARANCHAL
Address:	C.D.P.W.D.KAPKOTE Bageshwar
Amount(in Rs)	5826581/-

Amount in Words :Fifty-Eight Lakh Twenty-Six Thousand Five Hundred and Eighty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000633
Pay to Account No.	150896119168339
Bank Name & Address:	Corporation Bank FCS Bangalore, * Note : The proceeds of the payment will be creadited to the respective CAMPA State Account.

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

send a line of confirmation through

Back

यह सरकारी धनराशि है इसमें
विनिमय की आवश्यकता नहीं है

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

भारतीय स्टेट बैंक, कपकोट-07925
पी०एफ०नं०-253067
20 MAR 2018
Devendra Singh Guniyal
मेकर चेकर

MNo 9719471059

SBINR52018032110027

2061
30.11.16

5

आदेश

उप जिलाधिकारी, कपकोट की आख्या/रिपोर्ट दिनांक 03 नवम्ब,,.2016 के आधार पर जनपद बागेश्वर के विघान सभा क्षेत्र कपकोट अर्न्तगत गैरखेत से लखमारा तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त वन भूमि 3.375 है0 की दुगनी अवनत भूमि 6.750 है0 जो ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4138 रकवा 4.800 है0, मध्ये 4.750 है0, खेत नंम्बर 4140 रकवा 2.610 है0 मध्ये 2.000 है0, कुल रकवा 6.750 है0 श्रेणी 9(3)ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को मैं, जिलाधिकारी, बागेश्वर शासनादेश संख्या 2173/xviii(II)/2012–18(120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 883/X–4–16/1(275)/2016 दिनांक 12 अगस्त, 2016 में दी गयी शर्तो के अधीन उक्त वर्णित 6.750 है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण/ नामांतरण की स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर

संख्या – 51 / छब्बीस वन /2016–17 दिनांक 25/11 /2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1–प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग ,बागेश्वर।

2–अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट।

3–उपजिलाधिकारी,कपकोट।

4–तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण /नामांतरण वन विभाग विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

फोटो प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

250
2193
16.12.16

कार्यालय तहसीलदार, कपकोट।

संख्या– 59 /र०का०/व०भू०ह०/2016–17/दिनांक 15 दिसम्बर,2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय :– *जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट अन्तर्गत गैरखेत से लखमारा तक मोटर मार्ग के निर्माण में प्रयुक्त 3.375 है0 वन भूमि की दुगुनी अवनत वन भूमि 6.750 है0 भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण के सम्बन्ध में।*

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के आदेश संख्या–51/छब्बीस वन/ 2016–17 ,दिनांक 25/11/2016 के अनुपालन में ग्राम बदियाकोट पटवारी क्षेत्र बदियाकोट तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4138 रकवा 4.800 हैक्टेयर, मध्ये 4.750 हैक्टेयर, खेत नम्बर 4140 रकवा 2.610 हैक्टेयर मध्ये 2.000 हैक्टेयर, कुल रकवा 6.750 हैक्टेयर श्रेणी 9(3) ख जंगल के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण कर खतौनी नकल मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :– (01) जिलाधिकारी, महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी नकल अवलोकनार्थ प्रेषित।
(02) अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग कपकोट को मय खतौनी नकल प्रेषित।

फोटो प्रति सत्यापित

वनभूमि सहायक

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

तहसीलदार
कपकोट।

...कपकोट जिला बागेश्वर

...नार का नाम	फसली सन्	खेत नम्बर	रकबा	लगान	विवरण
जंगल		१४८	५॥		जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं.-51/इक्तीस वन 2016-17 दिनांक-25/11/2016 के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-1(20)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर 2012 तथा उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या 883 X-4-16/1(275)/2016 दिनांक 12 अगस्त 2016 में दी गई शर्तों के अधीन ग्राम-नौगांव के लो० नि० वि० खाता संख्या 110 के पैमाईशी खेत नम्बर 4138 रकबा 4.800 है० मध्ये 4.750 है० खेत नम्बर 4140 रकबा 2.610 है० मध्ये 2.000 है० कुल रकबा 6.750 है० श्रेणी 9(3) ख जंगल के सम्पूर्ण दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण किये जाने हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण किया।
		१४९	२३७		
		१४७५	३६८।।।		
		१४७६	१८७।।।		
		क्रमशः			
		४१२८	२२८।		
		४१३७	१६७।।।		
		४१३८	२४०		
		४१४०	१३०॥		
		क्रमशः			
		४३४७	१९७॥=		
		४३४८	२६३=		
		४३४९	२०३=		
		क्रमशः			
		८३०२	५		
		८३०३	३		
		८३०४	॥=		
		८३०५	२—		
योग —		३७८	४७०४१=		

प्रतिहस्ताक्षरित

फोटोप्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
कपकोट

तहसीलदार
तहसील कपकोट

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः—जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

भू वैज्ञानिक के सुझावों के अनुपालन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु भू–वैज्ञानिक / जिला टास्क फोर्स द्वारा दिये गये सुझावों / शर्तो का निर्माण कार्य के दौरान लोक निर्माण विभाग द्वारा पूरी तरह अनुपालन किया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट (बागेश्वर)

आवश्यक न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः— जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग निर्माण के दौरान कम से कम एवं आवश्यक वृक्षों का ही पातन किया जायेगा और जो वृक्ष प्रस्तावित किये गये है उनके अतिरिक्त अन्य वृक्षों का पातन नहीं कराया जायेगा।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

आवश्यक न्यूनतम वृक्षों के पातन का प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

मलवे का निस्तारण प्रस्तावित 7.00 मी0 चौडाई में दीवार निर्माण कर पासिंग प्लेस बनाते हुए किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

सहायक अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

अधिशासी अभियंता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.कपकोट

परियोजना से उत्पादित मलवे के निस्तारण की समानचित्र योजना

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.375 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत गैरखेत से लखमरा मोटर मार्ग के निर्माण में उत्पादित होने वाले मलवे का निस्तारण टास्क फोर्स द्वारा की गयी संस्तुतियों (प्रस्ताव के पृ.सं. में संलग्न) के अनुसार किया जायेगा एवं तत्पश्चात अवशेष मलवे को मार्ग के किनारे उपलब्ध अतिरिक्त भूमि में **(Passing places)** एकत्रित किया जायेगा। मानचित्र संलग्न है।

सहायक अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियंता
निर्माण खंड, लो.नि.वि.कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
कपकोट (बागेश्वर)

—जनपद बागेश्वर के अंतर्गत गरखेत से लखमरा तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 6.750 है0)

Scale-1:50,000

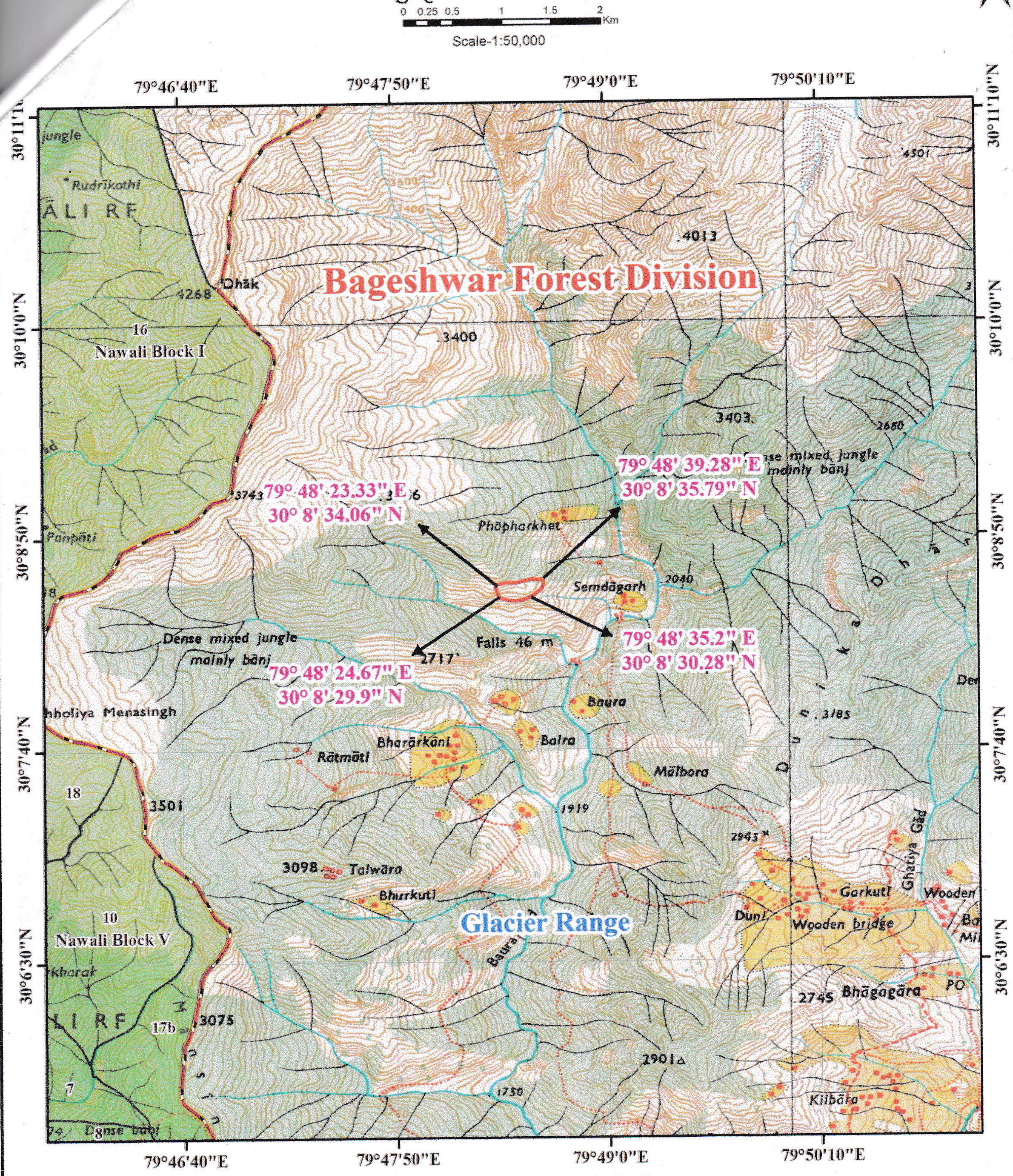

Legend

- Range Boundary
- Reserve Forest Area

सहायक अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

नप :—जनपद बागेश्वर के अंतर्गत गरखेत से लखमरा तक 5.00 कि0मी0 मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 6.750 है0)

0 0.01750.035 0.07 0.105 0.14 Km

Scale-1:3,500

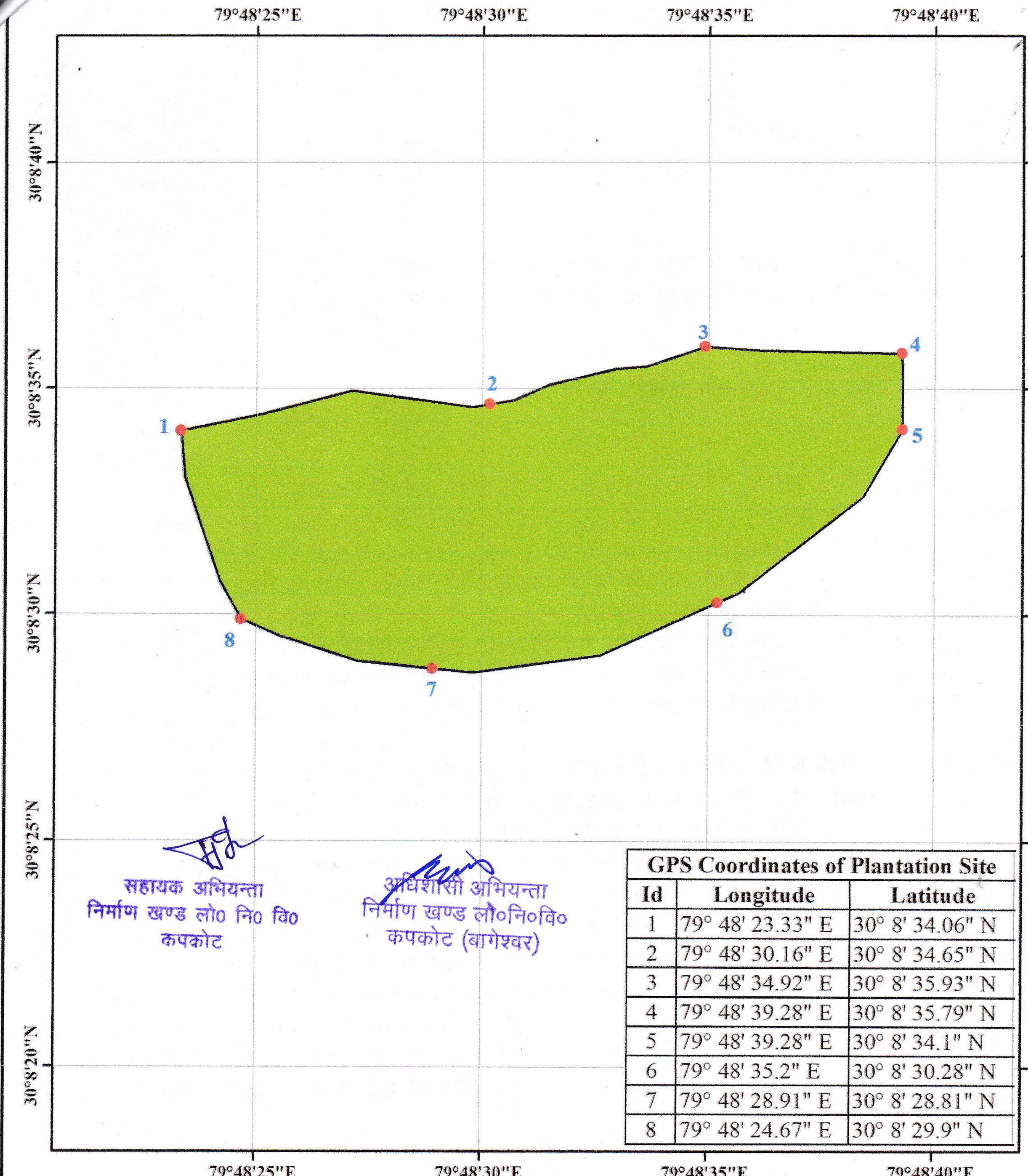

GPS Coordinates of Plantation Site		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 48' 23.33" E	30° 8' 34.06" N
2	79° 48' 30.16" E	30° 8' 34.65" N
3	79° 48' 34.92" E	30° 8' 35.93" N
4	79° 48' 39.28" E	30° 8' 35.79" N
5	79° 48' 39.28" E	30° 8' 34.1" N
6	79° 48' 35.2" E	30° 8' 30.28" N
7	79° 48' 28.91" E	30° 8' 28.81" N
8	79° 48' 24.67" E	30° 8' 29.9" N

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0 नि0 वि0
कपकोट

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
कपकोट (बागेश्वर)

Legend